

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2018

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-फैजाबाद की 06 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4203/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 29 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-फैजाबाद की न0पं0, बीकापुर, रूदौली एवं गौसाईगंज तथा नगर निगम, अयोध्या की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 06 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 425.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 212.875 लाख (रूपये दो करोड़ बारह लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

श्री. प्रो. जी. माधुकुमार झा

TE  
27/3/18

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/प्रनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बटुचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-1007/दस-2018, दिनांक 22 मार्च, 2018 के प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भक्तदीय  
26/3/18  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या- 117/2018/272(1)/69-1-18. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फैजाबाद।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	न0पं0, बीकापुर	वार्ड नं0 05 बिलारी माफी (सेमरा) में मेन रोड से जगराम निषाद के घर तक, विनोद निषाद के घर होते हुये गिरजा निषाद के घर तक, चौथी कोरी के घर से मंजू कोरी के घर तक, मेन रोड से राम सहाय वर्मा, छंगू कोरी, राम निहाल कोरी के घर होते हुये जानकी के घर तक, राममनोहर के घर से अशोक के घर तक इंटरलाकिंग सड़क, नाली एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	38.69	19.345
2	फैजाबाद	न0नि0, अयोध्या	रामघाट छोटी छावनी वार्ड (हनुमत्बजार) में जंगली के घर से राम प्रसाद के घर तक, शशिदास के घर से विजय प्रकाश के घर तक, सी0सी0 रोड से रामू मोदन वाल के घर तक, बृजविलास के घर से सिब्बू मिश्रा के घर तक, सिब्बू मिश्रा के घर से विजय शंकर मिश्रा के घर तक, बृजेश के घर से हरिशंकर के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था।	82.51	41.255
3	फैजाबाद	न0नि0, अयोध्या	वार्ड नं0 50 बड़ा रमना हैदरगंज-50 में योगेश चन्द्र के घर से रामतेज के घर होते हुये फिरता देवी के घर तक, हरिराम के घर से नन्हकू के घर तक, वार्ड नं0 10 रायगंज में आर0के0 शुक्ला के घर से मन्दिर होते हुये राजू सोनकर के घर तक, अशोक सोनी के घर से वीरेन्द्र माझी, राजू मिश्रा के घर होते हुये सुरेन्द्र नाथ के घर तक, रामसुरत माझी के घर से वीरेन्द्र सिंह के घर तक, हरिराम माझी के घर से अरुण देव त्रिपाठी के घर तक, वार्ड नं0-43 रामू माझी के घर से रामकुमार माझी के घर होते हुये ऊषा देवी के घर तक, जैन मन्दिर के सामने से राधेश्याम चौंसिया के घर होते हुये पेन्टिंग रोड तक, राधेश्याम चौंसिया के घर से राजू जायसवाल के घर तक, विजय गुप्ता के घर से शिवदयाल सोनी के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था।	63.65	31.825
4	फैजाबाद	न0पं0, रूदौली	वार्ड नं0 10 अकबरगंज में सुशील कुमार के घर से आदर्श स्कूल तक, मेन रोड से एफ0सी0आई0 गोदाम	97.81	48.905

			तक, आमीन कार्यालय से जिलेदार कार्यालय होते हुये डाक बंगला तक, मेन रोड से नलकूप विभाग तक, मेन रोड से नहर पटरी होते हुये विश्वकर्मा मन्दिर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था।		
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 05 पूरे हुसैन खां में मलकनिया मन्दिर से बिस्मिल्लाह, हनुमान टीला क घर होते हुये नसीर के घर के पास पेन्टिंग रोड तक, मदनबिहारी के घर से उमाशंकर के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था।	77.76	38.88
6	तदैव	न0पं0, गोसाईगंज	वार्ड नं0 01 संत रविदास चौराह से बनराजा बस्ती तक, मा0 सांसद हरिओम पाण्डेय जी के मकान से गोसाईगंज बन्धे तक, वार्ड नं0 7 जी0जी0आई0सी0 स्कूल के गेट से नलकूप तक मुन्नी लाल पत्थरकट के सामने से पशु चिकित्सालय के गेट तक, वार्ड नं0 05 हुसैन मार्केट से दीक्षा विद्यालय तक, वार्ड नं0 8 कृपाशंकर हलवाई के घर से स्वर्गीय राम प्रसाद के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था।	65.33	32.665
<b>योग</b>				<b>425.75</b>	<b>212.875</b>

(रूपये दो करोड़ बारह लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र)।

  
 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
 अनु सचिव।

http://shasanadeshpune.nic.in